न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

अपील संख्याः 180/2012

कुलदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एसएडी तहसील श्रीविजयनगर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसील राजस्व श्रीवियजनगर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री बलदेव बिश्नोई
2. पैरोकार राज.

निर्णय दिनांकः 07.08.2019

1. यह अपील बहुकम तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर के निर्णय दिनांक 16.11.2012 प्र.स. 11/2012 के विरूद्ध इस न्यायायल मे प्रस्तुत की गई। अपील में सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के कब्जा काश्त में चक 3 एसएडी में रकबा है। उक्त रकबा शुद्व रकबा राज नहीं है। बल्कि सीलिंग प्रकरण हेतु निगरानी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में जैरकार है जिमसे माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 15.03.2011 को इस आश्य का स्थगन आदेश जारी है कि यदि अपीलांट विवादित अराजी के प्रति बीघा 250/– रूपये प्रति वर्ष राज कोर्ष में जमा करा दे तो उसकी मौके पर खडी फसल को नीलाम नही किया जावे और ना ही उसे मौका से बेदखल किया जावे साथ ही विवादित अराजी को रकबा राज नही करके राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। परन्तु मातहत अदालत ने कृषि वर्ष 2012–13 के लिए नाजायज काश्त मानते हुए दिनांक 16.11.2012 को पचास गुणा तावान राशि रूपये 1736 एवं काश्त किये हुए रकबा से बेदखल करने तथा फसल निलाम करने का गैरकानूनी आदेश पारित कर दिया गया । माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 15.03.2011 की पालना में वर्ष 2010–11 के लिए दिनांक 23.03.2011 को तथा वर्ष 2010–11 के लिए दिनांक 14.03.2012 को अपीलांट तथा राशि जमा करवा दी है। तथा इसी प्रकार वर्ष 2012–13 के लिए माह मार्च 2013 तक अपीलांट प्रतिभूमि राशि जमा करवा देता परन्तु मातहत न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने बिना सुनवाई समुचित अवसर दिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर दिया। अतः मातहत न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील स्वीकार की जावे।
2. उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अपील 180/12 पर दर्ज की जाकर रेस्पोंडेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की और से अधिवक्ता श्री बलदेव बिश्नोई उपस्थित हुए एवं राजपेरोकार उपस्थित आए। बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि उक्त रकबा शुद्व रकबा राज नहीं है। बल्कि सीलिंग प्रकरण हेतु निगरानी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में जैरकार है जिमसे माननीय मण्डल द्वारा

Scanned by CamScanner

दिनांक 15.03.2011 को इस आश्य का स्थगन आदेश जारी है कि यदि अपीलांट विवादित अराजी के प्रति बीघा 250/– रूपये प्रति वर्ष राज कोर्ष में जमा करा दे तो उसकी मौके पर खडी फसल को नीलाम नही किया जावे और ना ही उसे मौका से बेदखल किया जावे साथ ही विवादित अराजी को रकबा राज नही करके राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 15.03.2011 की पालना में वर्ष 2010–11 के लिए दिनांक 23.03.2011 को तथा वर्ष 2010–11 के लिए दिनांक 14.03.2012 को अपीलांट तथा राशि जमा करवा दी है। तथा इसी प्रकार वर्ष 2012–13 के लिए माह मार्च 2013 तक अपीलांट प्रतिभूति राशि जमा करवा देता परन्तु मातहत अदालत ने कृषि वर्ष 2012–13 के लिए नाजायज काश्त मानते हुए दिनांक 16.11.2012 को पचास गुणा तावान राशि रूपये 1736 एवं काश्त किये हुए रकबा से बेदखल करने तथा फसल निलाम करने का आदेश पारित कर दिया। जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 15.03.2011 की अनदेखी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

3. राज पैरोकार ने बहस के दौरान निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के उक्त आदेश दिनांक 15.03.2011 में प्रति वर्ष 250 रूपये जमा करवाने के आदेश हुए है। राशि जमा करवाने बाबत अपीलांट को जरिये सम्मन कई बार तलब किया गया परन्तु अपीलांट उपस्थित नहीं हुआ। साथ ही उक्त भूमि रकबा राज है अतः प्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही की गई है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन मनन चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। चूंकि प्रकरण में माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 15.03.2011 को इस आश्य का स्थगन आदेश जारी है कि यदि अपीलांट विवादित अराजी के प्रति बीघा 250/– रूपये प्रति वर्ष राज कोर्ष में जमा करा दे तो उसकी मौके पर खडी फसल को नीलाम नही किया जावे और ना ही उसे मौका से बेदखल किया जावे साथ ही विवादित अराजी को रकबा राज नही करके राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। फिर भी तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा अपीलाधीन आदेश जारी किया गया, जो उचित नही है। अतः तहसीलदार श्रीविजयनगर का आदेश दिनांक 16.11.2012 अपास्त कर पत्रावली तहसीलदार श्रीविजयनगर को इस आश्य के साथ रिमाण्ड की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारों का सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner